पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मोहम्मद वसीकुर रहमान

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 8445

24 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेंदु सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान न करना सही है या नहीं?

हेडनोट्स

सेवा कानून-पेंशन और ग्रेच्युटी-प्राधिकारी की निष्क्रियता के कारण उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान तय न होना-प्रतिवादी-डिवीजन बेंच के फैसले की अवज्ञा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया था-याचिकाकर्ता वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त हो गए थे और पेंशन योग्य सेवा की कुल अवधि बिहार पेंशन नियम, 1950 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 1988 में याचिकाकर्ता की नियुक्ति की तारीख से ली जानी आवश्यक है।

निर्णय: जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) ने न केवल इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है, बल्कि यह न्यायालय उन्हें एक अक्षम अधिकारी मानता है, जिन्होंने खंडपीठ के निर्देश/आदेश को नहीं समझा है, जिसका अनुपालन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करने के खंडपीठ के आदेश में हस्तक्षेप न करने के तुरंत बाद किया जाना अपेक्षित था/है - यदि प्रशासनिक या न्यायिक शक्ति का प्रयोग प्रासंगिक कारकों पर विचार न करते हुए या उन पर विचार न करते हुए किया गया है, तो ऐसा प्रयोग अमान्य माना जाएगा - जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) ने न केवल क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है, बल्कि उपलब्ध अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि उन्होंने तथ्यों और कानूनों की परवाह किए बिना, अपनी विशुद्ध इच्छा और सनक का प्रयोग करते हुए, मनमाने ढंग से, स्वेच्छाचारी और विकृत तरीके से, इस न्यायालय के आदेशों का पालन न करके स्वयं को रोकने पर अड़े हुए हैं - अवलोकन और निर्देश के साथ, रिट का निपटारा

किया जाता है।

(पैराग्राफ 5, 8, 10 और 12)

न्याय दृष्टान्त

भारत संघ बनाम कुलदीप सिंह, ***2004 (2) एससीसी 590***; दिल्ली परिवहन निगम बनाम डी.टी.सी. मजदूर कांग्रेस एवं अन्य, ***एआईआर 1991 एससी 101***; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य बनाम संजीव उर्फ बिट्टू, ***2005 (5) एससीसी 181***—**पर भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

सेवा कानून; बिहार पेंशन नियम, 1950।

मुख्य शब्दों की सूची

पेंशन और ग्रेच्युटी का निर्धारण न करना, सेवानिवृत्त व्यक्ति, माननीय न्यायालय के निर्णय की अवज्ञा, मनमाने ढंग से, मनमानी, विकृत रूप से।

प्रकरण से उत्पन्न

जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद पेंशन एवं ग्रेच्युटी का निर्धारण न किये जाने से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता के लिए: श्री राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री प्रणब झा, अधिवक्ता; श्री संतोष सिंह, अधिवक्ता; श्री प्रभजोत सिंह, अधिवक्ता; श्री ज्ञानेन्द्र कुमार दिवाकर, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए: श्री मधुकर मिश्रा, एसी से एससी-16।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 8445

==========

मो. वसीकुर रहमान पिता स्वर्गीय मोहम्मद समिदुर रहमान निवासी पता-पोस्ट-गैयारी, वार्ड संख्या-12, थाना और जिला-अररिया।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, अररिया।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), जिला, अररिया।
5. कोषागार अधिकारी, अररिया।
6. प्रधानाध्यापक-सह-आहरण एवं संवितरण अधिकारी, थाना मिडिल स्कूल, फारबिसगंज, जिला-अररिया।
7. प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, ओसरी, फारबिसगंज, जिला-अररिया।
8. महालेखाकार, बिहार।

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :-

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता
श्री प्रणब झा, अधिवक्ता
श्री संतोष सिंह, अधिवक्ता
श्री प्रभजोत सिंह, अधिवक्ता
श्री ज्ञानेंद्र कुमार दिवाकर,अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री मधुकर मिश्रा, एसी से एससी-16

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह

मौखिक निर्णय

तिथि -24-08-2023

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राजीव कुमार सिंह और

राज्य की ओर से उपस्थित हुए विद्वान एसी से एससी-16 श्री मधुकर मिश्रा को सुना।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), अररिया की निष्क्रियता के कारण अपनी पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान न होने से व्यथित है, जिन्होंने सीडब्ल्यूजेडब्ल्यू संख्या 13836/2001 से उत्पन्न पत्र पेटेंट अपील संख्या 77/2008 में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश का पालन करने के लिए भी ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के पैराग्राफ संख्या 15 से 21 की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता ने 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 1380 को प्राथमिकता दी, जिसे 21.08.2012 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), अररिया द्वारा प्रस्तुत इन पृष्ठभूमि पर विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उपरोक्त एलपीए में इस न्यायालय के विशिष्ट निर्देश के बावजूद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया है, इस न्यायालय की खंडपीठ के दिनांक 24.11.2011 के आदेश के अनुसार,याचिकाकर्ता की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और पर्चियां नहीं ली गई हैं।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दलील दी कि जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), अररिया, स्वीकृति प्राधिकारी होने के नाते, मामले की जाँच करके और याचिकाकर्ता को देय पेंशन की देय राशि स्वीकृत करके खंडपीठ के निर्देश का पालन करें। उन्होंने आगे दलील दी कि यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1988 में हुई थी और उसके बाद 1990 से 1997 तक वह अनुपस्थित रहे। हालाँकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी और वह नवंबर 2011 में सेवानिवृत्त हो गए थे।

4. इन पृष्ठभूमि में राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), अररिया ने खंड पीठ के आदेश का पालन नहीं करके वास्तव में इस

न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि आज इस न्यायालय के मौखिक निर्देश के अनुपालन में, उसने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की उपस्थिति में जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) के साथ एक टेलीफोनिक संचार किया था, लेकिन इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश के बारे में स्पष्ट किए जाने के बावजूद, वह याचिकाकर्ता को देय पेंशन और कानून के अनुसार उपदान की मंजूरी के संबंध में कोई कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक है और न ही वह कोई आदेश पारित करने के लिए तैयार है।

5. पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी दलीलों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय केवल यह निरीक्षण कर सकता है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), अररिया ने न केवल इस न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की है, बल्कि यह न्यायालय उसे अक्षम अधिकारी पाता है, जिसने खंड पीठ के निर्देश/आदेश को नहीं समझा है, जिसका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करने में खंड पीठ के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने के तुरंत बाद अनुपालन किया जाना आवश्यक था।

6. अररिया के जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को खंडपीठ द्वारा दिए गए कारणों का पालन करते हुए और अपनी निजी राय से अभिभूत होकर कि विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 1380/2012 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, उन्होंने एक निजी राय बनाई है जो काफी हास्यास्पद और काल्पनिक है, जिसकी उम्मीद एक ईमानदार व्यक्ति से नहीं की जा सकती जो अपने पद का निर्वहन करने में सक्षम हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम कुलदीप सिंह** के मामले में **2004 (2) एससीसी 590** में रिपोर्ट किया है कि विवेकाधिकार कानून के माध्यम से यह जानने में है कि क्या उचित है, उद्धृत करें:

> ***"विवेक का अर्थ है कानून के माध्यम से यह जानना कि क्या न्यायसंगत है। जहाँ एक न्यायाधीश के पास न्यायिक विवेक है और वह उसका प्रयोग करता है, उसका आदेश तब तक अपील योग्य नहीं है जब तक कि***

उसने ऐसा कानून या तथ्य की भूल के कारण या सिद्धांत की अवहेलना में, या अप्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखते हुए न किया हो। यह दर्शाने में मदद मिलेगी यदि यह दर्शाया जा सके कि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर वह अपने विवेक का प्रयोग उस तरह से कर सके जैसा उसने किया..."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने आगे निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"20. जब किसी व्यक्ति, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के लिए कुछ भी उसके विवेक के अनुसार करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो कानून का इरादा है कि यह सही विवेक के साथ और कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।(टॉमलिन लॉ डिक्शनरी देखें) अपने सामान्य अर्थ में, "विवेकाधिकार" शब्द का अर्थ है पसंद या इच्छा का अनियंत्रित प्रयोग; अपने स्वयं के निर्णय के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता; इच्छा का अनियंत्रित प्रयोग; अपने स्वयं के निर्णय के अलावा नियंत्रण के बिना कार्य करने की स्वतंत्रता या शक्ति। लेकिन, जब सार्वजनिक अधिकारियों पर लागू किया जाता है, तो इसका अर्थ है कानून द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्ति या अधिकार, कुछ परिस्थितियों में आधिकारिक रूप से अपने स्वयं के निर्णय और विवेक के आदेशों के अनुसार कार्य करना, दूसरों के निर्णय या विवेक से अनियंत्रित होना।विवेक सही और गलत के बीच अंतर करना है और इसलिए, जिसके पास विवेक से कार्य करने की शक्ति है, वह तर्क और कानून के शासन से बंधा हुआ है।(टॉमलिन का लॉ डिक्शनरी देखें)

21. विवेक, सामान्य रूप से, यह समझ है कि क्या सही और उचित है।यह ज्ञान और विवेक को दर्शाता है, वह विवेक जो एक व्यक्ति को सावधानी के साथ एकजुट होकर सही और उचित के बारे में आलोचनात्मक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है; अच्छी समझ, और सावधानी से निर्देशित निर्णय; जानबूझकर निर्णय; निर्णय की दृढ़ता; झूठ और सत्य के बीच, गलत और सही के बीच, छाया और पदार्थ के बीच, समानता और रंगीन चमक और ढोंग के बीच, और व्यक्तियों की इच्छा और निजी स्नेह के अनुसार नहीं करने के लिए एक विज्ञान या समझ।जब यह कहा जाता है कि कुछ अधिकारियों के विवेक के भीतर किया जाना है, तो कुछ विवेक और न्याय के नियमों के अनुसार किया जाना है, न कि निजी राय के अनुसार; कानून के अनुसार और हास्य के अनुसार नहीं।यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि कानूनी और नियमित होना चाहिए।और इसका प्रयोग उस सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, जिसके लिए एक ईमानदार व्यक्ति, जो अपने पद के निर्वहन के लिए सक्षम है, खुद को सीमित करने के लिए (लॉर्ड हेल्सबरी, एल. सी. के अनुसार, शार्प बनाम वेकफील्ड में)।(एस. जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ भी देखें)

22. "विवेक" शब्द, जो अकेला और परिस्थितियों द्वारा समर्थित नहीं

है, मूर्खता, अविवेकीपन या जल्दबाजी से भिन्न, निर्णय, कौशल या बुद्धिमत्ता के प्रयोग को दर्शाता है; इसलिए स्पष्टतः विवेक मनमाना नहीं हो सकता, बल्कि न्यायिक सोच का परिणाम होना चाहिए। यह शब्द अपने आप में सतर्कता और सावधानी का संकेत देता है; इसलिए, जहाँ विधायिका विवेक प्रदान करती है, वहाँ वह एक भारी ज़िम्मेदारी भी डालती है। "एक न्यायाधीश का विवेक अत्याचारियों का कानून है; यह हमेशा अज्ञात रहता है। यह अलग-अलग लोगों में अलग-अलग होता है। यह आकस्मिक होता है और संविधान, स्वभाव और जुनून पर निर्भर करता है। सबसे अच्छे रूप में यह अक्सर सनक होता है; सबसे बुरे रूप में यह हर वह बुराई, मूर्खता और जुनून होता है जिसके लिए मानव स्वभाव उत्तरदायी होता है।" लॉर्ड कैमडेन, एल.सी.जे., ने हिंडसन और केर्सी में कहा।

28. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यदि वैधानिक विवेकाधिकार किसी प्राधिकरण में निहित है तो ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने, सनकी और काल्पनिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। घटना के परिणाम से यह परिलक्षित होना चाहिए कि संबंधित प्राधिकारी ने सतर्क निरीक्षण और देखभाल के साथ कानून, कौशल और ज्ञान के ठोस सिद्धांत के भीतर विवेक का प्रयोग किया है। विवेकाधीन शक्ति किसी व्यक्ति या प्राधिकारी पर भारी जिम्मेदारी लगाती है। क़ानून, परिपत्र या आदेश द्वारा उच्च प्राधिकारी को दी गई अक्षांश या स्वतंत्रता इस तरह की शक्ति का अन्यायपूर्ण और अनुचित तरीके से प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती है।कुलदीप सिंह (उपरोक्त) के मामले में,सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने आगे निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"यदि किसी कानून या नियमों द्वारा किसी न्यायाधीश को उसके समक्ष लाए गए मामलों पर निर्णय लेने में एक मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी से अलग एक निश्चित अक्षांश या स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो यह न्यायिक विवेकाधिकार है।यह विवेकाधिकार के प्रयोग को सीमित और विनियमित करता है, और इसे पूरी तरह से निरपेक्ष, मज़बूत या समीक्षा से मुक्त होने से रोकता है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **एआईआर 1991 एससी 101; दिल्ली परिवहन निगम बनाम डी.टी.सी. मजदूर कांग्रेस एवं अन्य** , में प्रस्तुत एक मामले में इस धारणा को खारिज कर दिया कि उच्च पद पर आसीन व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करता। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त विवेकाधिकार को उनकी अपनी विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दिल्ली परिवहन निगम (उपरोक्त) के निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत है:-

"जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्ता के मनमाने उपयोग के दायरे को कम करने की आवश्यकता है।व्यक्तियों की अच्छी समझ पर निर्भर रहना अनुचित है, चाहे वे कितने भी उच्च स्थान पर हों। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों जैसे बहुमूल्य अधिकारों को व्यक्तिगत सनक और कल्पनाओं की अनिश्चितताओं के सामने उजागर करना और भी अनुचित और अवांछनीय है। यह कहना सरल है कि व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होते हैं और न ही बन जाते हैं क्योंकि वे सत्ता के उच्च पदों पर आसीन होते हैं, और अच्छी समझ, सावधानी और निष्पक्षता पदों के साथ नहीं जाती है, चाहे वे कितने भी उच्च हों। केवल एक आत्मसंतुष्ट धारणा है कि जो लोग उच्च पदों पर आसीन हैं, उनमें जिम्मेदारी की उच्च भावना होती है। यह धारणा न तो कानूनी है और न ही तर्कसंगत है। इतिहास इसका समर्थन नहीं करता और वास्तविकता इसकी गारंटी नहीं देती। विशेष रूप से, एक ऐसे समाज में जो कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, अपने जीवन के किसी भी पहलू को विवेक से नियंत्रित करना नासमझी और अनैतिक दोनों होगा, जब वह सुविधापूर्वक और आसानी से कानून के शासन के अंतर्गत आ सकता है।"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***दिल्ली राज्य और अन्य बनाम संजीव उर्फ बिट्टू*** मामले में, जो ***2005 (5) एससीसी 181*** में रिपोर्ट किया गया था, यह माना कि यदि प्रशासनिक या न्यायिक शक्ति का प्रयोग प्रासंगिक कारकों पर विचार न करके या उन पर विचार न करके किया गया है, तो ऐसा प्रयोग अमान्य माना जाएगा।

9. अररिया के जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) की कार्रवाई से पता चलता है कि उन्होंने न केवल क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है, बल्कि उपलब्ध अभिलेख प्रतिबिंबित करते हैं कि उन्होंने तथ्यों और कानूनों की परवाह किए बिना, अपनी शुद्ध इच्छा और सनक का प्रयोग करते हुए, मनमाने ढंग से, स्वेच्छाचारी और विकृत तरीके से, इस न्यायालय के आदेशों का पालन न करके खुद को संयमित रखने पर अड़े हुए हैं।

10. अररिया के जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) की ओर से जानबूझकर की गई निष्क्रियता को देखते हुए, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता से संबंधित सेवा अभिलेखों को मंगाकर याचिकाकर्ता को पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान से संबंधित मामले में उचित कार्रवाई करें। इसके बाद,

उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे एलपीए संख्या 77/2008 में पारित निर्देश का पालन करें। इस स्वीकृत तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त हुए थे और पेंशन योग्य सेवा की कुल अवधि बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 1988 में याचिकाकर्ता की नियुक्ति की तिथि से ली जानी आवश्यक है।और यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया पेंशन और ग्रेच्युटी स्वीकार्य है, तो संबंधित प्राधिकारी को पेंशन और ग्रेच्युटी स्वीकृत करने का निर्देश देने के लिए उचित कदम उठाए जाएं, याचिकाकर्ता के पत्र को महालेखाकार, बिहार को अग्रेषित करके।

11. उपरोक्त कार्य इस आदेश के जारी होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।

12. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ,वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(पूर्णेन्दु सिंह, न्यायाधीश)

नीरज/-
नीलमणि/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।